12701/17

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP02782336058771P
Certificate Issued Date	:	09-Jan-2017 02:30 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL01033395110315 19P
Purchased by	:	TANYA INFRABUILD AND INFOTECH PVT LTD
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	16/COM-14,NEAR TRAUMA CENTER, SECTOR-16,VRINDAVAN YOJANA, LUCKNOW
Consideration Price (Rs.)	:	2,65,44,244 (Two Crore Sixty Five Lakh Forty Four Thousand Two Hundred And Forty Four only)
First Party	:	UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Second Party	:	TANYA INFRABUILD AND INFOTECH PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	TANYA INFRABUILD AND INFOTECH PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	18,58,100 (Eighteen Lakh Fifty Eight Thousand One Hundred only)

LOCKED SRO LUCKNOW

....Please write or type below this line...

आवंटी

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

VO 0005312996

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

confirmation Page

Form 26QB

Your E-tax Acknowledgement Number is **AD4618596**

- The Acknowledgement No. generated will be valid only if the taxpayer makes a payment at Bank's site. Taxpayers are advised to save above Acknowledgement No. for downloading Form 16B from TRACES website.
- As communicated by Income Tax Department, TDS certificate (Form 16B) will be available for download from the TRACES website after atleast 2 days of deposit of tax amount at the respective Bank.
- The TDS amount as per Form 26QB should be entered in the field 'Basic Tax' (Income Tax) on the Bank's web-portal as TDS certificate (Form 16B) will be based on 'Basic Tax' (Income Tax) only.
- If Date of deduction is greater than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
- If Date of deduction is less than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
- If Date of furnishing Form 26QB is beyond prescribed due date, the same may attract late filing fee u/s 234E.

Tax Applicable	0020	Assessment Year	2017-18
Minor Head Code	800	Financial Year	2016-17
Permanent Account No. (PAN) of Transferee(Payer/Buyer)	AAECT0171N	Permanent Account No. (PAN) of Transferor (Payee/Seller)	AAAJU0103A
Full Name of the Transferee	TANYA INFRABUILD & INFOTECH PRIVATE LIMITED	Full Name of the Transferor	UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Category of Transferee on the basis of PAN	Company	Category of Transferor on the basis of PAN	Artificial Juridical Person
Status of PAN as per ITD PAN Master	Active PAN	Status of PAN as per ITD PAN Master	Active PAN

Complete Address of the Property Transferee

Name of premises/Building/ Village	SHIVPURAM
Flat/Door/Block No.	538 KA/456/142
Road/Street/Lane	TRIVENI NAGAR
City/District	LUCKNOW
State	UTTAR PRADESH
Pin Code	226020
Email ID	AD.VISHVAJEET.LKO@GMAIL.COM
Mobile No.	9838789388

Complete Address of the Property Transferor

Name of premises/Building/ Village	UP AVAS AWAM VIKAS PARISH
Flat/Door/Block No.	OFFICE COMPLEX
Road/Street/Lane	VRINDAVAN YOJNA
City/District	LUCKNOW
State	UTTAR PRADESH
Pin Code	226024
Email ID	
Mobile No.	

Date of Agreement/Booking	27/04/2016	Whether more than one Transferee/Buyer	No
Date of Payment/Credit	26/07/2016	Whether more than one Transferor/Seller	No
Date of Tax Deduction	26/07/2016	Payment Type	Installments

Complete Address of the Property Transferred

Type of Property	Land
Name of premises/Building/ Village	SECTOR 16/COM
Flat/Door/Block No.	
Road/Street/Lane	VRINDAVAN YOJNA
City/District	LUCNOW
State	UTTAR PRADESH
Pin Code	226024

Tax Deposit Details

Rate (in %)	1
Total Amount Paid/Credited	7356061
TDS Amount to be paid	73561
Interest	1840
Fee	0
Total payment	75401.00
Value in words	Seventy Five Thousand Four Hundred One Rupees and paise

Total Value of Consideration (Property Value)	7356061
Mode of Payment	Online
Bank Name	Dena Bank

आवंटी

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

This Acknowledgment is only for the information regarding TDS on Sale of Property submitted to Tax Information Network (TIN). This cannot be treated as proof of payment of taxes.

https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/ConfirmServlet...

Form 26QB

Your E-tax Acknowledgement Number is AD7343371

...knowledgement No. generated will be valid only if the taxpayer makes a payment at Bank's site. Taxpayers are advised to save above Acknowledgement No. for downloading Form 16B from TRACES
...e.
...mentioned by Income Tax Department, TDS certificate (Form 16B) will be available for download from the TRACES website after atleast 2 days of deposit of tax amount at the respective Bank.
...DS amount as per Form 26QB should be entered in the field 'Basic Tax' (Income Tax) on the Bank's web-portal as TDS certificate (Form 16B) will be based on 'Basic Tax' (Income Tax) only.
...e of deduction is greater than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
...e of deduction is less than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
...e of furnishing Form 26QB is beyond prescribed due date, the same may attract late filing fee u/s 234E.

...Mode	0020	Assessment Year	2017-18
...Code	800	Financial Year	2016-17
...Account No. (PAN) of ...Payee/Buyer)	AAECT0371N	Permanent Account No. (PAN) of Transferor (Payee/Seller)	AAAJU3103A
...of the Transferee	TANYA INFRABUILD & INFOTECH PRIVATE LIMITED	Full Name of the Transferor	UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
...Transferee on the basis of PAN	Company	Category of Transferor on the basis of PAN	Artificial Juridical Person
...AN as per ITD PAN Master	Active PAN	Status of PAN as per ITD PAN Master	Active PAN

...Address of the Property Transferee

...Premises/Building/ Village	SHIVPURAM
...Block No.	538KA/456/142
...Lane	TRIVENI NAGAR
...	LUCKNOW
...	UTTAR PRADESH
...	226020
...	AD.VISHVAJEET.LKO@GMAIL.COM
...	9838789388

Complete Address of the Property Transferor

Name of premises/Building/ Village	UP AVAS AWAM VIKAS PARISH
Flat/Door/Block No.	OFFICE COMPLEX
Road/Street/Lane	VRINDAVAN YOJANA
City/District	LUCKNOW
State	UTTAR PRADESH
Pin Code	226024
Email ID	
Mobile No.	

...Agreement/Booking	27/04/2016	Whether more than one Transferee/Buyer	No
...Payment/Credit	26/07/2016	Whether more than one Transferor/Seller	No
...Deduction	26/07/2016	Payment Type	Installments

...Address of the Property Transferred

...Property	Land
...Premises/Building/ Village	SEC 16/COM 14

Tax Deposit Details

Rate (in %)	1
Total Amount Paid/Credited	611209

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

आवंटी

City/Town	LUCKNOW	Interest	784
State	UTTAR PRADESH	Fee	0
Pin Code	226024	Total payment	6876.00
		Value in words	Six Thousand Eight Hundred and Seventy Six Rupees and paise

Total Value of Consideration (Property Value) 611200
Mode of Payment Online
Bank Name Dena Bank

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

आवंटी

This Acknowledgement is only for the information regarding TDS on Sale of Property submitted to Tax Information Network (TIN). This cannot be construed as proof of payment of taxes.

सिलसिले का नम्बर	बही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता नाम व पता	पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7
					1) क्रेता/प्रस्तुतकर्ता मैसर्स तान्या इन्फ्राबिड इ. फोरेस्ट प्रा०लि० निवासी 530 क/ 456/ 142, शिवप्रसाद त्रिवेदी नगर लखनऊ	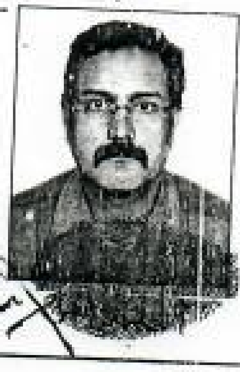
					सम्पत्ति प्रबंधक [illegible] उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ	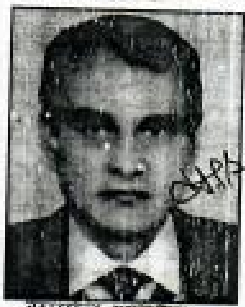 सम्पत्ति प्रबंधक वृन्दावन योजना, लखनऊ
					Nagndekahlon NAGINDER KAHLON H.NO 209 Sector- 21 A Chandigarh.	
					गुलाम मो० शाजमी सदापुर, सिकन्दरपुर ख्वाजापुर लखनऊ	

आई एस ओ प्रमाणित संस्था

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्

आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर–9, प्रथम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ

संख्या..................... /सं0प्र0 वृन्दावन योजना दिनांक.....................

सेवा में,

मैसर्स तान्या इन्फ्राबिल्ड एण्ड इन्फोटेक प्रा०लि०

निवासी :- 5 ख/456/142, शिवधाम त्रिवेणी नगर, लखनऊ

....

विषय : भवन/भूखण्ड संख्या 16/Com-14 के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पक्ष में आवंटित भवन/भूखण्ड संख्या 16/Com-14 का विक्रय विलेख/किराया क्रय विलेख रू0 ....18,50,100=.......... के स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया गया है जो कि मूल रूप में एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया 25 दिन के अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होकर विलेख पंजीकृत कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन माहों के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि भवन/भूखण्ड का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके अन्यथा परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

पत्रांक ५९० /उक्त/ तद् दिनांक 01/2/17

प्रतिलिपि : सब रजिस्ट्रार लखनऊ को उक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम / Enrollment No [illegible] 98102129

To,
गुलाम मोहम्मद
Gulam Mohammad
S/O Darga[illegible]
6a/141
[illegible]
[illegible]
UTHRATHIA
Lucknow
Uttar Pradesh 226025
9450301403

Ref. 401 / 17B / 284320 / 286832 / P

UE0054323570

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No.

4789 3222 [illegible]394

आधार — आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India

गुलाम मोहम्मद
Gulam Mohammad
जन्म वर्ष / Year of Birth : 1961
पुरुष / Male

4789 3222 [illegible]394

आधार — आम आदमी का अधिकार

Ishubg
गुलाम मोहम्मद
~~[illegible]1116~~
770503557

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

Umesh Pratap Singh
उमेश प्रताप सिंह
जन्म तिथि/DOB:
07-07-1977
पुरुष / MALE

7816 2869 8487

आधार - आम आदमी का अधिकार

9792 430851

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

आधार

पता

S/O [illegible] बहादुर सिंह, ए3/24, [illegible] आवास, सेक्टर 1, गोमती नगर विस्तार, [illegible], लखनऊ, [illegible] प्रदेश-226010

Address:

S/O Samar Bahadur Singh, A3/24, sulabh avas, sector1, gomati nagar vistar, Gomtinagar, Lucknow, Lucknow, Uttar Pradesh-226010

1947
1800 180 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in
P.O. Box No. 1947, Bengaluru-560 001

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

नागिंदर काहलों
Naginder Kahlon
जन्म वर्ष / Year of Birth : 1979
पुरुष / Male

7182 5407 2282

आधार – आम आदमी का अधिकार

Nagndi Kahlon
9918225285

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता : S/O [illegible]

Address: S/O [illegible] Singh Kahlon, # [illegible] Sector 21-A, Chandigarh, Chandigarh, 160022

[illegible]

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
व्यवसायिक भूखण्ड के लिए किराया–किश्त क्रय किरायेदारी का अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक 01 माह फरवरी दो हजार 17 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतदपश्चात 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो , उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिती भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिती भी है।

माध्यम से होता है । एक पक्ष और **मैसर्स तान्या इन्फाबिल्ड एण्ड इन्फोटेक प्रा0लि0 निवासी–538क/456/142 शिवपुरम, त्रिवेणीनगर, लखनऊ को ओर से श्री उमेश प्रताप सिंह** जिसे एतत्पश्चात किराया–किश्त क्रेता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो , इसमें एतत्पश्चात यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिती और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी,निष्पादक,प्रशासक,विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी है,दूसरे पक्ष के बीच किया गया ।

चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया–किश्त क्रय योजना के अधीन किराया किश्त क्रेता ने स्वामी से किराया किश्त क्रय योजना के अधीन एक व्यवसायिक भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया–किश्त क्रेता को भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है ।

और चूँकि किराया–किश्त क्रेता ने **रू0 79,63,273.00 (शब्दों में केवल रू0 उन्यासी लाख तिरसठ हजार दो सौ तिहत्तर मात्र)** का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में कर दिया है जिसमें पंजीकरण की जमा बयाना धनराशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सम्मिलित है । इस धनराशि में से किराया किश्त क्रेता ने प्रदेशन पत्र के अनुसार 1% धनराशि काट कर आयकर विभाग में परिषद के पैन खाता सं0 AAAJU0103A में जमा कराकर फार्म 26Q.B प्रस्तुत किया है।

उक्त व्यवसायिक भूखण्ड सं0 **16/COM-14** का कुल मूल्य रू0 **2,65,44,244.00 (रू0 दो करोड़ पैंसठ लाख चौवालीस हजार दो सौ चौवालीस मात्र)** जिसका आधा रू0 **1,32,72,122.00(रू0 एक करोड़ बत्तीस लाख बहत्तर हजार एक सौ बाईस मात्र)** होता है। आवंटी द्वारा यदि किश्तों का नियमित भुगतान नही किया जाता है तो उसमें नियमानुसार ब्याज/दण्ड ब्याज भी देय होगा।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्द्वारा किराया–किश्त क्रेता से प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया–किश्त भी एतदद्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदा करता है और सहमत है अर्थात ।

1. किराया –किश्त क्रेता को व्यवसायिक भूखण्ड के रूप में ,सम्पत्ति का , जिसकी संख्या **16/COM-14** है और जो **वृन्दावन योजना संख्या–4 सेक्टर संख्या– 16** में स्थित है। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आगे दी गयी अनुसूची–एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है,कब्जा दिया जायेगा ।

2. किराया–किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तो के अधीन 72 **(मासिक)** की एक नियत अवधि तक ग्रहीत करेगा जो वर्ष **दो हजार सत्रह** के मार्च–17 मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष 2023 के **फरवरी** मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी:–

(क) किराया–किश्त–क्रेता रू0 **3,92,988.00** केवल **(रू0 तीन लाख बान्नबे हजार नौ सौ अट्ठासी मात्र)** की मासिक किश्त की किसी मांग की प्रतीक्षा किए बिना उसी माह में जिसमें मासिक किश्त देय हो जाय, प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक तक स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया –किश्त क्रेता दवारा पहले ही कर दिया गया और जिसे **माह मार्च–17** की प्रथम किश्त के रूप में समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान **वर्ष** 2017 के माह के **अप्रैल–17** के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कैलेण्डर मास के तुरन्त बाद किराया–किश्त क्रय की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।

क्रमशः 2 पर

आवंटी

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

ख. किराया–किश्त के आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों , फीस , प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहणकी धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो , जो स्थानीय निकाय दवारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार दवारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरणदवारा उसके सम्बन्ध में भू– स्वामी या किरायेदार को एतद्द्वारा किराये परदी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा । किराया–केता– स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर व्यवस्था के प्रभार का , जैसा कि स्वामी दवारा समय– समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा । परन्तु किराया–किश्त केता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी का ऐसी देय धनराशि को भू–राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी ।

ग.किराया–किश्त केता उक्त सम्पत्ति के साथ–साथ सम्भरण ,जल निस्सारण,बिजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिस पद के अन्तर्गत सामान्य, और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी)। स्वामी के या ऐसे ब्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करायेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और स्थिति में रखेगा।

घ.किराया–किश्त केता ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई बात नही करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य व्यवसायिक भूखण्डो के अध्यासियों की या पड़ोसियों की राय में लोक कण्टक हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनाई गई।

ड.किराया–किश्त केता एतदवारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी दवारा इस निमित प्राधिकृत किन्हीं ब्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक हैं तो स्वामी किराया–किश्त केता के खर्च पर कर वा सकता है और किराया–किश्त केता एतद्द्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित नियत करे,ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है।

च. किराया किश्त केता स्वामी दवारा प्राधिकृत किसी अन्य ब्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप – लाइन , सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगने के प्रयोजन के साथ–साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोडने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ।

छ.किराया–किश्त केता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा । परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

ज. किराया– किश्त केता , स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा , उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय ,अन्तरण,समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा। परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथास्थिति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तो से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्य नहीं होगा जहां समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा ब्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो ।

झ.किराया–किश्त केता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची–दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा।

क्रमशः 3 पर

आवंटी

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

ञ.किराया–किश्त क्रेता किसी भी स्तर पर किन्हीं भी कारणों, से चाहे जो भी हो, जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है, सम्पत्ति के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरत रहेगा जिससे आपत्तियां उठें या दावे प्रस्तुत किये जाये ।

ट.किराया किश्त क्रेता इस योजना के अधीन उस पर आने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा जो इस विलेख का अंग समझे जायेगें और जिसके बारे में इस अनुबन्ध–पत्र के पक्षकारों के बीच एतदद्वारा सहमति है।

ठ.उक्त सम्पत्ति में किराया–किश्त क्रेता के हित के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया–किश्त क्रेता एतदद्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है ।

ड.किराया–किश्त क्रेता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतदद्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है । परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया–किश्त क्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि भूखण्ड, उपयोग के कारण उचित टूट–फूट को छोडकर ,उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था,किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में,किराया–किश्त क्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक मरम्मत कराये। भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अतिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा ।

ढ. किराया–किश्त क्रेता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशिती को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में भूखण्ड/भवन के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया–किश्त क्रेता की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया–किश्त क्रेता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बध्यता के अधीन होगा । इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया– किश्त क्रेता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है परन्तु किराया–किश्त क्रेता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर किराया–किश्त क्रेता के वारिस/वारिसों का स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा ।

ण.किराया–किश्त क्रेता सभी देयों का जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा किश्तों के भुगतान के लिये उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी ।

वह किश्त में सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज के भुगतान का देनदार होगा। यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया–किश्त क्रेता तदनुसार किश्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में व्यक्ति क्रम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और क्रेता को बेदखल किया जा सकेगा । स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भू–राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा । किराया–किश्त का जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तो प्रकिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा ।

त.यदि किराया–किश्त क्रेता सम्पत्ति या साझा भावा या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहुचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिये उसका उपयोग हो, तो किराया–किश्त क्रेता ऐसी क्षति , क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिये स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा ।

थ.यदि किराया–किश्त क्रेता किराया–किश्त क्रय की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतदद्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिये स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ–साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया–किश्त क्रेता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा ।

क्रमशः 4 पर

आर्पटी

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

द.इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई जांच की जायगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और आध्यकर होगा, किराया किश्त–क्रेता द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन के लिये उसके द्वारा दिये गये आवंटन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्ही सारवान तथ्यों का छिपाया गया हो तो स्वामी के लिये किराया–किश्त क्रेता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि पूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा । और किराया–किश्त क्रेता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा ।

ध.स्वामी एतदद्वारा सहमत है कि किराया–किश्त क्रेता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विघ्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा। इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी किरायेदार एतदद्वारा किराया–किश्त क्रय के मूल्य में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो, भूमि के प्रतिकार में वृद्धि होने के कारण, या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतदपश्चात विनिश्चय किया जाए, कोई बृद्धि होने से उसका भुगतान करने के लिए सहमति है ऐसा भुगतान व्यय में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जाएगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।

न.उक्त भूखण्ड का किराया–किश्त क्रेता एतदद्वारा आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुर्नग्रहण किया जा सकेगा। किराया–किश्त क्रेता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराएगा।

3.स्वामी एतदद्वारा किराया–किश्त क्रेता को किराया–किश्त क्रय की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया–किश्त क्रेता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का पट्टेदार के रूप में स्वामी हो जायेगा।

4.हस्तान्तरण विलेख सामान्यतः स्वामी द्वारा किराया–किश्त क्रय की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया–किश्त क्रेता ने इसके पूर्व किरायेदारी समाप्त करने और सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें निहित करने के लिए आवेदन किया हो और यदि किराया–किश्त क्रेता स्वामी द्वारा, (जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा) की गई संगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण–विलेख निष्पादित करेगा।

5.यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेंगे और किराया–किश्त क्रेता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक–पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

अनुसूची– 1

वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित निर्माण खण्ड–31 के सभी व्यवसायिक भूखण्ड जिसकी संख्या **16/COM-14** एवं भूमि का क्षेत्रफल **739.60** व0मी0 है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है:–

सम्पत्तिसं० श्रेणी **16/COM-14** व्यवसायिक भूखण्ड	क्षेत्रफल 739.60 वर्ग मीटर
सीमाएँ:–उत्तर– 9.00 मी0 चौड़ी सड़क	उत्तर– 21.50 मीटर
दक्षिण– व्यवसायिक भूखण्ड सं0 **16/COM-11**	दक्षिण– 21.50 मीटर
पूर्व– व्यवसायिक भूखण्ड सं0 **16/COM-14**	पूर्व– 34.40 मीटर
पश्चिम– व्यवसायिक भूखण्ड सं0 **16/COM-13**	पश्चिम– 34.40 मीटर

इस व्यवसायिक भूखण्ड के किराया किश्त क्रय अनुबन्ध पर परिषद की ओर से **श्री हेतम पाल सिंह, सम्पत्ति प्रबन्धक** ने तथा **मैसर्स इन्फाबिल्ड एण्ड इन्फोटेक प्रा0लि0 की ओर से श्री उमेश प्रताप सिंह आशयिता व्यवसायिक भूखण्ड सं0 16/COM-14** ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये है।

क्रमशः 5 पर

आवंटी

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान नागेन्द्र कहलो

हरभजन सिह

पेशा व्यापार

निवासी मकान नं0 209 से- 21ए चण्डीगढ

व गुलाम मोहम्मद योजना सहा0 आ0 वि0 प0

पेशा नौकरी

निवासी

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

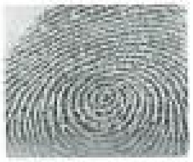

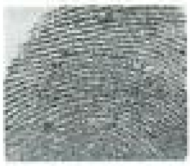

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.बी.सिह
उप निबन्धक(प्रथम)
लखनऊ
3/2/2017

अनुसूची–2

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए :–

स्थान लखनऊ

दिनांक

प्रथम साक्षी हस्ताक्षर

1–हस्ताक्षर: Yuvraj Deep Singh

2–नाम : Yuvraj Deep Singh

3–पता: N.L.B, Sringar Nagar, Alambagh, Lucknow U.P.

द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर

1–हस्ताक्षर : Nagender Kahlon

2–नाम : NAGINDER KAHLON
H NO 209 SECTOR 21 A
CHANDIGARH

3–पता

किराया किश्त केता का
(सुपाठ्य हस्ताक्षर और पता)

1– हस्ताक्षर–

2–नाम मैसर्स तान्या इन्फाबिल्ड एण्ड इन्फ्राटेक प्रा0लि0

निवासी–538क / 456 / 142 शिवपुरम, त्रिवेणीनगर, लखनऊ की ओर से श्री उमेश प्रताप सिंह

प्रथम साक्षी

1–हस्ताक्षर :

2–नाम (के0एन0 शुक्ला)
कनिष्ठ सहायक

3–पता :

परिषद की ओर से एवं उसके लिए

सम्पत्ति प्रबन्धक

वृन्दावन योजना, लखनऊ

द्वितीय साक्षी

1–हस्ताक्षर :

2–नाम :

3–पता

किरायेदारी सम्बन्धी उपबन्ध

(1)यह उपबन्ध किराया–किश्त केता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ–साथ उसके फ्लैट/भूखण्ड/भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक–पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2)किराया–किश्त केता अपने फ्लैट/भवन/भूखण्ड के भीतर, कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन,रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री, कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।

(3)ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखरायें बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।

(4)स्नानघर और शौचलय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा–करकट, रद्दी कागज, बुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रूकने न पावें।

(5)किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेटी को किराया–किश्त केता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड के बाहर या गलियारें या रास्तें में नहीं रखा जायेगा।

(6)भूखण्ड के साझे के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।

कमशः 6 पर

ह0/-
गुलाम मो0 खाँ0
सहायक सं0का0
वृन्दावन लखनऊ

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या
26,544,244.00	7,963,273.00		20,000.00	60	20,060.00	18

श्री मे. तान्या इन्फ्राबिल्ड ए.इन्फ्रोटेक प्रा0 लि0 द्वा. उमेश प्रताप सिंह

पुत्र श्री

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी 538 क/456/142 शिवपुरम त्रिवेणी नगर लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/2/2017 समय 1:29PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.बी.सिंह

उप निबन्धक(प्रथम)

लखनऊ

3/2/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

क्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ0 प्र0 आ0 वि0 प0 द्वारा हेतम पाल सिंह सं0 प्र. अ. ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्टीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री मे. तान्या इन्फ्राबिल्ड ए.इन्फ्रोटेक प्रा0 लि0 द्वा. उमेश प्रताप सिंह

पुत्र श्री

पेशा व्यापार

निवासी 538 क/456/142 शिवपुरम त्रिवेणी नगर लखनऊ

(7)किराया–किश्त केता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास–पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।

(8)फ्लैट/भवन/भूखण्ड के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील, या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिये नहीं किया जायेगा।

(9)भूखण्ड के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैंस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।

(10)प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।

(11)प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसकी प्रतिष्ठापन को किसी से कोई बिगाड़ने न पाये।

(12)सम्पत्ति का दुरूपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सीढ़ियाँ , चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।

(13)परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्वाध आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

(14)उपर्युक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया–किश्त केता के विरूद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

(15) व्यवसायिक भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय–समय पर लागू हो, मान्य होगी।

नोट:–(1) अतः शासनादेश सं0वि0क0नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश संख्या– 772/स्टाम्प लिपिक–2015 दिनांक 15.12.2015 के अन्तर्गत 7% की दर से ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP02782226953692P दिनांक 09/01/2017 द्वारा रू0 20,42,700.00 के प्रमाण पत्र पर किश्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

नोट–(2) उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धक अनुभाग–5 सं0नि0क0नि0 5-3757/11-2010-500(100)-2008 दिनांक 16-11-2011 द्वारा किश्त किरायेदारी अनुबन्ध परिषद दर पर निष्पादित किया जा रहा है।

नोट–(2) उक्त व्यवसायिक भूखण्ड सं0 16/COM-13, का मांग पत्र संख्या 202 दिनांक 13.01.2017 को निर्गत के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग–7, आदेश संख्या– 13/संख्या–क0नि0–7-440/11-2015-700(111)/13 लखनऊ दिनांक 30, मार्च 2015 के शासनादेश अनुसार किराया–किश्त क्रय किरायेदारी अनुबन्ध एक वर्ष के अन्दर निष्पादित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर:–

नाम

मैसर्स तान्या इन्फ्राबिल्ड एण्ड इन्फोटेक प्रा0लि0
निवासी–538क/456/142 शिवपुरम, त्रिवेणीनगर, लखनऊ
की ओर से श्री उमेश प्रताप सिंह

(हितम पाल सिंह)
सम्पत्ति प्रबन्धक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

क्रेता

Registration No. : 1270 Year : 2,017 Book No. : 1

0201 मे, तान्या इन्फ्राविल्ड ए,इन्फ्रोटेक प्रा0 लि0 द्वा, उमेश प्रताप सि

538 क/456/142 शिवपुरम त्रिवेणी नगर लखनऊ

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 421349

यह स्टैम्प उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना में स्थित भूखण्ड संख्या 16/Comm-14 द्वारा अनुबंध विलेख के साथ संलग्न है।

[signature]

59133

03/02/2017

तान्या इन्फ्रा बिल्ड एण्ड इन्फोटेक प्रा० लि०

गवाह

Registration No.: 1270 Year : 2017 Book No. : 1

W1 नागेन्द्र कहली

हरभजन सिंह

मकान नं0 209 से- 21ए चण्डीगढ

व्यापार

W2 गुलाम मोहम्मद योजना सहा0 आ0 वि0 प0

नौकरी

IS 15700:2005

Office of The Executive Engineer

Construction Div.-31,
U.P.Housing & Development Board
Office Complex, Sec.9A, Vrindavan Yojna, Lucknow

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SITE PLAN OF HOUSE/PLOT NO. 16/COM-14

AT SECTOR- 16 **VRINDAVAN YOJNA NO. 2/ 4, LUCKNOW**

OWNER SRI./SMT. तान्या इन्फ्राबिल्ड एण्ड इन्फ्राटेक प्रा० लि०
द्वारा श्री उमेश प्रताप सिंह

PLOT SIZE 21.50 **M x** 34.40 **M**

TOTAL PLOT AREA- 739.60 **Sqm.**

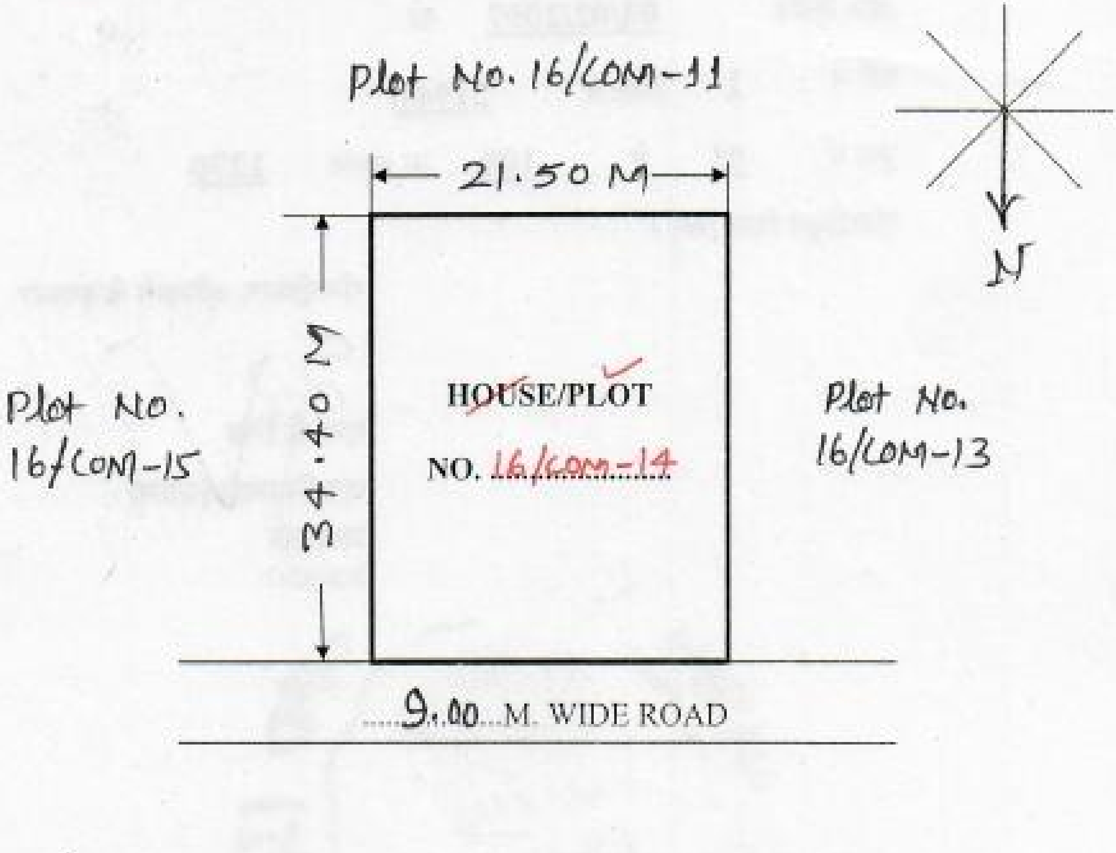

D/MAN 9/12/16 | J.E. | A.E. 19.12.16 | ALLOTEE | E.M.O.

वृन्दावन योजना, लखनऊ

आज दिनांक **03/02/2017** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **21941**

पृष्ठ सं. **91** से **108** पर कमांक **1270**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.बी.सिंह

उप निबन्धक(प्रथम)

लखनऊ

3/2/2017

आई एस ओ प्रमाणित संस्था

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर–9, प्रथम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ

संख्या 4901 /सं0प्र0 वृन्दावन योजना दिनांक 01/2/17

सेवा में,
मैसर्स वाम्या इन्फ्राबिल्ड एण्ड इन्फ्राटेक प्रा0लि0
निवासी :- 538क/456/142, शिवधाम त्रिवेणी नगर लखनऊ

विषय : भवन/भूखण्ड संख्या 16/Com-14 के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पक्ष में आवंटित भवन/भूखण्ड संख्या 16/Com-14 का विक्रय विलेख/किराया क्रय विलेख रू0 10,58,100/- के स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया गया है जो कि मूल रूप में एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया 25 दिन के अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होकर विलेख पंजीकृत कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन दिवसों के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि भवन/भूखण्ड का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके अन्यथा परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

सम्पत्ति प्रबंधक
कृते आवास आयुक्त, लखनऊ

पृ0सं0 /उक्त/ तद् दिनांक

प्रतिलिपि : सब रजिस्ट्रार लखनऊ को उक्त सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबंधक
कृते आवास आयुक्त, लखनऊ

भाग 1

[प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला]

उप निबन्धक(प्रथम) क्रम सं0 3178

लखनऊ

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 03-Feb-2017

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम मे. तान्या इन्फ्राबिल्ड ए.इन्फ्रोटेक प्रा0 लि0 द्वा. उ

लेख का प्रकार विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

प्रतिफल की धनराशि 26,544,244. / 0.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 20,000.0
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 60
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुख्तारनामा के अधिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 20,060.0

शुल्क वसूल करने का दिनांक 03-Feb-2017

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार किया 03-Feb-2017

वापस

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर ____________________

1270/17